

## दक्षिण मध्य रेलवे

सेफ्टी.387/फलाई लीफ10/2023

फलाई लीफ सं.10 / 2023

सर्वसंबंधित .....ध्यान दें

**बलास्ट विभागीय सामग्री गाड़ियों (डीएमटी) की लदान, उतराई और परिवहन से संबंधित संयुक्त प्रक्रिया आदेश**

सं.डब्ल्यू.506/जनरल/ट्रैक/बलास्ट लोडिंग-अनलोडिंग/जोपीओ/2023 दिनांक: 14/29.09.2023

यह जेपीओ विभागीय सामग्री गाड़ियों के डिरेलमेंट के मामलों पर नियंत्रण बनाए रखना के लिए जारी किया गया है.

**बलास्ट गाड़ियों के डिरेलमेंट की घटनाएं मुख्यतया निम्नलिखित कारणों से होती हैं:**

- i. बलास्ट को उतारते समय अतिरिक्त गिट्टी/ढेरों से रनिंग रेल अवरूद्ध होना.
- ii. पाइंट और क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग आदि स्थलों पर रनिंग रेल और चेक रेल के बीच गिट्टी होना.
- iii. वैगनों की आंशिक लदान के कारण असमान लदान होना.
- iv. ब्लॉक के दौरान गेज फेस की ओर स्पष्ट फ्लैज वे क्लीयरेंस सुनिश्चित किए बिना बलास्ट डीएमटी को पीछे ले जाना.

### 1. सामान्य :

- i. साधारण व सहायक नियम अध्याय IV, साधारण नियम सं. 4.62, 4.63, और 4.64 में दिए गए सभी संबंधित नियम और सामग्री गाड़ियों के कार्यचालन से संबंधित सहायक नियम और आईआरपीडब्ल्यूएम- 2020 के पैरा 806 (आई) का सावधानीपूर्वक पालन किया जाए.
- ii. वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/मंडल इंजीनियर/सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा बलास्ट हॉपर वैगनों की लदान/उतराई के लिए जिम्मेदार रेलपथ कर्मचारियों की काउंसिलिंग की जाए. अनुभवी ट्रैकमैनों को ही डीएमटी संचालन के लिए प्रतिनियुक्त किया जाए.
- iii. यदि संविदा एजेंसी द्वारा बलास्ट की उतराई की जाती है तो सुनिश्चित करें कि संविदाकार के पर्यवेक्षक के पास प्राधिकृत फोटो पहचान पत्र उपलब्ध है. संविदाकार के पर्यवेक्षक/कामगारों को बलास्ट गाड़ी पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए और

लदान/उतराई के दौरान अपनाए जाने वाले संरक्षा उपायों के बारे में सही काउंसलिंग दी जाए.

- iv. ऐसे कर्मचारी जिनका चिकित्सा/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम ओवरड्यू है उन्हें डीएमटी कार्य के लिए प्रतिनियुक्त न किया जाए.
- v. ब्लॉक संचालन से पहले सही योजना और तैयारी सुनिश्चित करें और उतराई से पहले पर्याप्त ब्लॉक सुनिश्चित करें.
- vi. डीएमटी (विभागीय सामग्री गाड़ियां) संचालन के दौरान वैगनों में कोई खराबी जो संरक्षा के लिए खतरा बन सकती है, इंजीनियरिंग विभाग के पदाधिकारियों द्वारा तत्काल मरम्मत के लिए उसे सी एंड डब्ल्यू विभाग अर्थात् कंट्रोल और बेस डिपो के ध्यान में लाया जाए.

## 2. गाड़ी प्रबंधक/लोको पायलट/वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर/(पी.वे) की ड्यूटी:

- i. उतराई का पर्यवेक्षण करने वाले संबंधित वसेइंजी/कइंजी/रेलपथ बलास्ट गाड़ी की सही उतराई परिचालन के लिए जिम्मेदार होंगे.
- ii. सेक्शन के रेलपथ इंजीनियर, जिनका रैंक कइंजी/रेलपथ से कम न हो, निम्न कार्य के लिए जिम्मेदार होगा:
  - a. बलास्ट की सुरक्षित उतराई का पर्यवेक्षण.
  - b. उतारी गई गिट्टी को क्लियर करना, ताकि गिट्टी मानक गति आयामों का उल्लंघन न करें.
- iii. बलास्ट गाड़ी का लोको पायलट सतर्क रहेगा और लोको ड्राइविंग कैब में उपलब्ध रेलपथ इंजीनियर के अनुदेशों का पालन करेगा जो गिट्टी की उतराई के समय सेक्शन के रेलपथ इंजीनियर/गार्ड द्वारा दिए गए सिगनलों पर लगातार नजर रखेगा और गाड़ी के पीछे से या आगे से दिए गए सिगनलों का पालन करेगा.
- iv. उतराई करते समय गाड़ी के पूरे संचलन के दौरान गाड़ी प्रबंधक लगातार आगे बढ़ो हथ सिगनल दिखाएगा.
- v. इंजन को पीछे(रिवर्सल) लेते समय, रेलपथ कर्मचारी द्वारा पूरी संरचना के ब्रेक रिलीज किए जाएंगे.

## 3. लदान के लिए बलास्ट डिपो में भेजने से पहले रेक की जांच :

- i. सामग्री गाड़ियों के सभी बलास्ट वैगनों/स्लीपर कैरियर वैगनों के लिए एक नामित बेस डिपो होना चाहिए और इन वैगनों पर नामित डिपो का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए.
- ii. इन गाड़ियों को बेस डिपो में जांच के लिए महीने में कम से कम एक बार भेजना चाहिए और वहां पर निर्धारित अनुरक्षण अनुदेशों के अनुसार उनकी पूरी जांच की जाए.
- iii. सभी बलास्ट वैगनों के डोर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का सही अनुरक्षण किया जाए ताकि दरवाजों को ठीक तरह से और बिना किसी समस्या के बंद और खोल सके.
- iv. बीपीसी जारी करते समय खाली रिक को जांच के लिए भेजा जाए. गाड़ी परीक्षक कर्मचारी यह सुनिश्चित करें कि दरवाजों की फिटिंग और गियर सहित सभी दरवाजे कार्यचालन स्थिति में हैं. सभी दरवाजे ठीक से बंद होने चाहिए. बीपीसी पर हाथ से या मोहर के साथ स्पष्ट पृष्ठांकन किया जाए कि **"सभी दरवाजों की जांच की गई है और वे कार्यचालन स्थिति में है"**.
- v. इन गाड़ियों की आरंभिक ब्रेक पावर 90% से कम नहीं होनी चाहिए. डीएमटी के लिए बीपीसी की वैधता 30 दिन है.
- vi. नामित बेस डिपो को इन वैगनों के अनुरक्षण संबंधी पुर्जों का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करना चाहिए.
- vii. बीपीसी केवल दमरे क्षेत्राधिकार में रिक संचालन के लिए वैध है.
- viii. वसेइंजी/रेलपथ बलास्ट डिपो प्रभारी की यह जिम्मेदारी है कि वह खाली रिक को , बीपीसी की अवधि समाप्त होने से पहले बेस डिपो भेजे ताकि अमान्य बीपीसी के साथ गाड़ी चालन से पूरी तरह बच सके.
- ix. लदान/उतराई के बाद , डीएमटी के सुरक्षित चालन को सुनिश्चित करने के लिए टीएमएलपी जांच की जाए.

#### 4. **डिपो में बलास्ट की प्री-लोडिंग:**

- i. बलास्ट डिपो प्रभारी वसेइंजी/रेलपथ प्रत्येक फेरे की लदान से पहले बलास्ट डिपो में बीओबीवाईएन रिकों के सभी वैगनों में डोर ऑपरेटिंग मैकेनिज्म की ऑयलिंग और ग्रीसिंग सुनिश्चित करेगा और लॉग बुक के रूप में सही रिकॉर्ड बनाए रखेगा. सेक्शन के सहायक मंडल इंजीनियर और वरिष्ठ मंडल इंजीनियर अपने निरीक्षण के दौरान बलास्ट डिपो पर लॉग बुक की जांच करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उसका सही रखरखाव किया जा रहा है.

- ii. रिक को बलास्ट लदान के लिए भेजने से पहले सभी वैगनों के दरवाजों की जांच की जाए.
- iii. वैगन जिसके दरवाजे ठीक नहीं हैं उनमें लदान की अनुमति न दी जाए और उन पर "लदान न किया जाए" मार्क किया जाए और मरम्मत के लिए सीएंडडब्ल्यू नियंत्रण को सूचना दी जाए.
- iv. सीएंडडब्ल्यू कर्मचारियों द्वारा खराब वैगन की जांच की जाए . यदि मरम्मत करना संभव नहीं है, तो उसे मरम्मत के लिए बेस डिपो भेजा जाए.
- v. वसेइंजी/रेलपथ/बलास्ट डिपो प्रभारी निम्नलिखित प्रोफार्मा के अनुसार लॉग बुक रखेंगे और रिक में लदान से पहले पाई गई कमियों को उसमें दर्ज करेंगे:

जांच करने की तारीख	बीओबीवाई एन नं. जिसके दरवाजे बुरी तरह जाम हो गए हैं और खोला नहीं जा सकता है	बीओबीवाई एन नं. जिसके दरवाजों को बंद करने पर भी उनमें गैप है.	बीओबीवाईएन सं. जिसके दरवाजे बहुत कड़क हैं और आसानी से बंद नहीं होते हैं तथा उन दरवाजों को खोलने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है.	बीओबीवाईएन सं. जिसमें ऑयलिंग और ग्रीसिंग की गई है और दरवाजों के हैंडल आसानी से खुलते हैं.	निरीक्षण पदाधिकारियों की अन्य कोई टिप्पणी	निरीक्षण पदाधिकारियों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7

- vi. ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने से पहले, दरवाजे सही तरह से खुल रहे हैं इसकी जांच की जाए और यदि किसी बीओबीवाईएन के कुछ दरवाजे ठीक से नहीं खुल रहे हैं , तो उस वैगन से उतराई न की जाए और अगले दिन डिपो में इसकी मरम्मत के लिए सी एंड डब्ल्यू कर्मचारियों को बुक किया जाए.
- vii. रिक को बीपीसी के लिए भेजते समय खराबियों की सूची टीएक्सआर को सौंप दी जाए.

#### 5. डिपो से बलास्ट डीएमटी के प्रस्थान से पहले की जाने वाली कार्रवाई:

बलास्ट डिपो प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि बीओबीवाईएन की वहन क्षमता के अनुसार बीओबीवाईएन के पूर्व-निर्धारित पेंट मार्क तक लदान किया जाए और उसे लेवल किया जाए.

**6. ब्लॉक लेने से पहले बलास्ट डीएमटी के प्रस्थान समय की जाने वाली कार्रवाई:**

- i. उतराई केवल दिन के उजाले के दौरान ही की जाए.
- ii. बलास्ट गाड़ी के साथ एक अर्हताप्राप्त इंजीनियरी प्रभारी पदाधिकारी, जिसका रैंक कइंजी (रेलपथ) से कम न हो और आवश्यक औजारों के साथ एक कुशल लोहार को भेजा जाए. उसे डीएमटी के कार्यचालन संबंधी नियमों और विनियमों की सही जानकारी होनी चाहिए. प्रभारी पदाधिकारी के पास बलास्ट की उतराई स्थल का सही विवरण होना चाहिए जिस के लिए वसेइंजी/रेलपथ या सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा विधिवत अनुमोदन प्राप्त हो. वसेइंजी/कइंजी/रेलपथ द्वारा टीपीवार बलास्ट हॉपर की अनलोडिंग की उचित योजना बनाई जाए . आवश्यक स्थानों पर ही रुकने के लिए झाड़वों को पहले से स्पष्ट सिगनल दिखाया जाए.
- iii. बलास्ट डीएमटी की उतराई के दौरान वसेइंजी/कइंजी/रेलपथ हमेशा उपलब्ध रहें . वसेइंजी/कइंजी उतराई पूरी होने के बाद भी साइट पर उपस्थित रहे और खाली हॉपर वैगनों के दरवाजे विधिवत बंद करना सुनिश्चित करते हुए डीएमटी संचलन को अवरुद्ध करने वाले गिट्टी के ढेरों को ट्रैक से हटाए.
- iv. बलास्ट डीएमटी की उतराई के दौरान पर्याप्त प्रशिक्षित/सक्षम अनुभवी श्रमिक उपलब्ध कराएं.
- v. यदि किसी हॉपर में असमान भार है तो बलास्ट गाड़ी को उतराई के लिए सेक्शन में न ले जाए . असमान रूप से लदे वैगन को सेक्शन में ले जाने से पहले व्यवस्थित किया जाए.
- vi. सुनिश्चित करें कि संरक्षा उप स्कर और प्राथमिक चिकित्सा पेटी पर्यवेक्षक के पास उपलब्ध हैं और अच्छी कार्यचालन स्थिति में हैं.
- vii. बलास्ट लोडिंग /डीएमटी संचलन के बाद दरवाजे ठीक तरह से काम न करने की स्थिति में , सीएंडडब्ल्यू नियंत्रण को संदेश भेजा जाए ताकि मरम्मत के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था कर सके.

**7. बलास्ट डीएमटी की उतराई के दौरान वसेइंजी/कइंजी(रेलपथ) द्वारा की जाने वाली कार्रवाई:**

- i. बलास्ट को सीधा प्लैटफार्म लाइनों पर अनलोड न किया जाए . बलास्ट को पहले निकटवर्ती गैर-प्लैटफार्म लाइनों धीरे-धीरे पर उतारा जाए और फिर प्लैटफार्म लाइनों पर उसे ले जाया जाए.

- ii. बलास्ट उतराई के समय डीएमटी को 8 से 10 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति पर न चलाया जाए. इसके अलावा डीएमटी को केवल एक दिशा में आगे ले जाए और फ्लैज-वे को क्लियर किए बिना उसे पीछे धकेलने की अनुमति नहीं है.
- iii. बलास्ट गाड़ी को चलाते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी दरवाजों को धीरे-धीरे खोला जाता है ताकि बलास्ट अचानक गिरने और असमान रूप से फैलने से बच सके. मोड़ों पर, भीतरी दरवाजों को व्यवस्थित किया जाए ताकि दोनों तरफ आवश्यक मात्रा में उतराई सुनिश्चित कर सके.
- iv. हॉपरों से बलास्ट उतारते समय पाइंट और क्रासिंग जोनों में सावधानी बरती जाए ताकि चेक रेल और टंग रेल तथा स्टॉक रेल के बीच का अंतर क्लियर हो. (पाइंट रॉडों के बीच बलास्ट गिरने से बचने के लिए पाइंट मोटरों को लकड़ी/एमएस शीट से ढका जाए)
- v. उतराई के दौरान डीएमटी को न रोका जाए . उतराई के दौरान यदि बलास्ट गाड़ी रुक जाती है, तो गाड़ी आरंभ करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि रेल के टॉप टेबल और फ्लैज-वे से गिट्टी को साफ किया गया है.
- vi. सभी टीएल जेबी (ट्रैक लीड जंक्शन बॉक्स) से गिट्टी को साफ किया जाए. ओएचई मस्तूल से गिट्टी को साफ किया जाए ताकि यह जांच कर सके कि रेल के साथ मस्तूल की बॉन्डिंग ठीक है या नहीं t.
- vii. किसी कारण से एक तरफ का दरवाज़ा नहीं खुलता है तो सामने के दरवाज़े को भी बंद रखा जाए ताकि असमान उतराई से बच सके.
- viii. उतराई के समय दृश्यता कम होने के कारण यदि लोको पायलट और गाड़ी प्रबंधक/ वसेइंजी/कइंजी/रेलपथ के बीच सिगनलों का आदान-प्रदान करना कठिन हो जाता है तो डीएमटी के सही और सुरक्षित संचलन के लिए लोको पायलट और गाड़ी प्रबंधक/ वसेइंजी/ कइंजी/ रेलपथ को वॉकी-टॉकी सेट उपलब्ध कराया जाए . वॉकी-टॉकी सेट में इंजीनियरी कर्मचारियों के लिए प्रत्येक चैनल हो ताकि लोको पायलट को उससे बाधा न हो और इंजन पर उपलब्ध कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से लोको पायलट को संचलन के बारे में सूचना दी जाए. ड्राइवर और गार्ड/ वसेइंजी/कइंजी/रेलपथ के बीच सिगनलों का आदान-प्रदान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में रेलपथ कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाए.
- ix. ऐसे वैगन जिन्हें लोहार की सहायता से भी न खोला जा सकता है /न अनलोड किया जा सकता है , उन अनलोडेड वैगनों के साथ खाली रिक को निकटतम यार्ड/ स्टेबलिंग लाइनों पर ले जाया जाए ताकि टीएक्सआर द्वारा वैगन दरवाजों की मरम्मत की जा सके. खराब दरवाजों की मरम्मत के बाद , इन वैगनों से गिट्टी को सुविधाजनक स्थानों पर उतारा जाए, गिट्टी का हिसाब लगाया जाए और खाली रिक को लोडिंग डिपो

में भेजा जाए . गलती से उतराई असमान रूप से की जाती है तो उन रैकों को टर्नआउटों से लूप लाइन पर न ले या जाए और ऐसे वैगनों को सभी पूर्वोपायों के साथ प्रतिबंधित गति पर मोड़ों से ले जाने का प्रयास किया जाए.

#### 8. बलास्ट डीएमटी के अनलोडिंग के बाद वसेइंजी/कइंजी(रेलपथ) द्वारा की जाने वाली कार्रवाई:

- i. बलास्ट उतारने के बाद , यह स्वयं सुनिश्चित किया जाए कि वैगन में कोई गिट्टी न बची है. यदि अगली ब्लॉक अवधि के दौरान उतारने के लिए वैगन में कोई गिट्टी रह जाती है, तो ओएचई लाइनों का विधिवत ध्यान रखते हुए ऐसी गिट्टी को मैनुअली समतल किया जाए और डीएमटी को आवश्यक गति प्रतिबंध के साथ निकटतम स्टेशन पर ले जाया जाए , ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि गति 10 किमी प्रति घंटे से अधिक न हो.
- ii. उतराई के बाद एसईजे से पत्थर की गिट्टी से साफ किया जाए.
- iii. उतराई के बाद सिगनल रॉड, गियर और लॉक बार जाम होने से बचने के लिए गिट्टी के ढेर को ठीक से हटाना सुनिश्चित करें.
- iv. सुनिश्चित करें कि गाड़ी से अनलोड की गई गिट्टी को चलते आयामों से दूर रखा जाता है. यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त गति प्रतिबंध लगाया जा सकता है.
- v. डीएमटी के आधिकारिक प्रभारी वसेइंजी/कइंजी(रेलपथ) साइट छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि स्टॉक रेल , टंग रेल, चेक रेल और नोस ऑफ क्रॉसिंग के बीच अनजाने में कोई पत्थर न छोड़ा गया है.
- vi. मोड़ों पर और समपार पर रनिंग रेल तथा चेक रेल के बीच गिरी गिट्टी को ब्लॉक की क्लीयरेंस से पहले अनिवार्य रूप से साफ किया जाए.
- vii. बलास्ट के ढेरों के कारण पहियों का मूवमेंट अवरुद्ध न हो जाए.
- viii. बलास्ट अनलोडिंग ब्लॉक को क्लियर करने के लिए सहायक स्टेशन मास्टर को मेमो देते समय, कार्य के पर्यवेक्षक वसेइंजी /कइंजी(रेलपथ) एसएसई/जेई (रेलपथ) द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि गतिशील आयाम का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है.
- ix. सभी सावधानियों के बावजूद कुछ गिट्टी गाड़ी के फुटबोर्ड से टकराने की संभावना है जिसके कारण धूल उड़ सकती है. इसलिए, यह सिफारिश की जाती है कि पहली दो गाड़ियों के लिए 45 किमी प्रति घंटे की गति प्रतिबंध लगाया जाए जो गिट्टी उतारी गई हिस्से से गुजरती हैं. सतर्कता आदेश में गिट्टी उतारी गई स्थान का इंगित किया जाएगा और यह भी कि अस्थायी इंजीनियरिंग संकेतक बोर्ड स्टेशन पर प्रदर्शित नहीं किया गया है.

- x. वसेइंजी/कइंजी(रेलपथ)/गेंग के साथ मेट अगली दो गाड़ियां गुजरने तक साइट में पूरी अनलोडिंग लंबाई को कवर करते हुए अंतरालों पर खड़े रहेंगे. गाड़ी के रनिंग गियरों से अनलोडेड बलास्ट को साफ करना सुनिश्चित किए बिना ट्रैक फिट प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाए.
- xi. प्रत्येक अनलोडिंग के बाद , बलास्ट डिपो के प्रभारी वसेइंजी /रेलपथ को दरवाजे के ऑपरेटिंग तंत्र के गियर पहियों से गिट्टी धूल की सफाई सुनिश्चित करनी होगी और फिर दरवाजे के ऑपरेटिंग प्रणाली का आयलिंग और ग्रीसिंग किया जाए.
- xii. बलास्ट की पूरी अनलोडिंग सुनिश्चित करने के लिए, बलास्ट हॉपर (बीओबीवाईएन रेक) को उतारने के बाद हॉपर दरवाजे का र्यचालन स्थिति में होने चाहिए, अनलोडिंग का पर्यवेक्षण करने वाले वसेइंजी/कइंजी(रेलपथ) को एक रजिस्टर में निम्नलिखित सारणी के अनुसार अनलोडिंग विवरण भी दर्ज करना होगा.

अनलोड किए गए हॉपरों की संख्या			
खाली	आंशिक रूप से अनलोड किए गए	पूरी तरह अनलोड किए गए	कुल

हस्ता -/-  
सी.आर.एस.ई/माल

हस्ता -/-  
सी.ई.एल.ई

हस्ता -/-  
सी.एफ.टी.एम

हस्ता -/-  
सी.टी.ई

\*\*\*

**प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी**

**संरक्षा संगठन**

**दक्षिण मध्य रेलवे.**